कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)
पूर्व नाम–शासकीय कन्या महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788–2323773
Email- govtgirlspgcollege@gmail.com Website: www.govtgirlspgcollegedurg.ac.in
College Code : 1602 AISHE Code : C-21647

क्र0 842/स्था./अतिथि व्या./2025 दुर्ग, दिनांक : 05.08.2025

// अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक 289/01/आउशि/राज. स्था./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.06.2024 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 हेतु **शासकीय डॉ. वा.वा पटणकर कन्या स्नाकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)** में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक **12/08/2025 सायं 05:00 बजे तक** केवल पंजीकृत डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करेंगे) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता।

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनिमय 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षक/ अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक/ क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिये स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यार्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. **आयु सीमाः-** अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण -

क्र	विषय का नाम	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	हिन्दी	01	निरंक

टीपः- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानान्तरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी-एचडी, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक **12.08.2025** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगा।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **14.08.2025** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबाईट **www.govtgirslpgcollege.ac.in** पर प्रकाशित किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा अपत्ति की तिथि **18.08.2025** तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 20.**08.2025** को किया जायेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट **www.govtgirslpgcollege.ac.in** अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थिति नहीं होता हैं तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

5/8/25

प्राचार्य
शासकीय डॉ.वा.वा. पाटणकर कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P. G. College, Durg (C.G.)

क्र0 843 /स्था./अतिथि व्या./2025 दुर्ग, दिनांक : 05/08/2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, दुर्ग संभाग के सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, शास.विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
4. शासकीय महाविद्यालय .... को सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
5. स्थापना शाखा।

5/8/25

प्राचार्य
शासकीय डॉ.वा.वा. पाटणकर कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P. G. College, Durg (C.G.)